

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.1(2)(1)/नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/4176

दिनांक : 21/10/19

आदेश

सा.आ. 122/2019 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अध्याय-3क के उपबन्धों के अनुसार मतों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से डाले और रिकार्ड किये जाने के प्रावधान विहित किए हुए हैं और उक्त नियमों के नियम 32क के उपनियम (क) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) और उनके चिन्हों को अन्तर्विष्ट करने वाला मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट में लगाया जायेगा। उक्त नियमों के नियम 34क के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए।

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए/)Rules/DLB/19/33841 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा अध्यक्षीय पदों के चुनाव हेतु अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू किए जाने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग, सदस्य एवं अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के लिए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3076/28.08.2019 (सा. आ. 113/2019) को अधिक्रमित करते हुए सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतदान यूनिट में प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र का प्ररूप एतद्वारा निम्न प्रकार विहित करता है :-

A. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मशीनों हेतु सामान्य निर्देश:-

मशीन का संक्षिप्त परिचय :-

- ECIL द्वारा मल्टी पोस्ट सिंगल वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) विशेष रूप से राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के लिए निर्मित की गई है। इन मशीनों का रंग गुलाबी होगा जो किसी अन्य राज्य को आवंटित नहीं किया जायेगा एवं इन मशीनों पर **SEC Rajasthan** अंकित होगा।
- इन मशीनों के द्वारा एक ही कन्ट्रोल यूनिट (CU) से एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है, किन्तु एक पद के लिए निर्वाचन में इन मशीनों को सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीनों की तरह उपयोग में लाया जा सकता है।
- एक कन्ट्रोल यूनिट (CU) के साथ अधिकतम चार बैलेट यूनिट (BU) जोड़ी जा सकती हैं।
- ईवीएम की बैलेट यूनिट (BU) पर कुल 16 पैनल अंकित है किन्तु चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों (नोटा सहित) के लिए 15 पैनल ही उपयोग में लेने हैं। बैलेट यूनिट (BU) के अंतिम पैनल में **End Button** स्थापित हैं, जो ईवीएम में निर्वाचन से संबंधित Setting को Save करने के उपयोग में लाया जायेगा। किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक बैलेट यूनिट (BU) का उपयोग होने की स्थिति में भी निर्वाचन संबंधी Setting के लिए प्रथम बैलेट यूनिट (BU) का End Button ही उपयोग में आएगा अन्य बैलेट यूनिट (BU) का नहीं।
- एक पद के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में निर्वाचन संबंधी Setting के बाद मतदान के लिए उपयोग में लाई जा रही बैलेट यूनिट/यूनिटों (BU) के **End Button** को बन्द (Mask) रखा जायेगा।

ECIL द्वारा निर्मित उक्त इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों (EVM) के लिए मतपत्र का प्रारूप निम्न प्रकार विहित किया जाता है:-

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 458 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 12.7 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या-2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे दो मिलीमीटर की आर-पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या-3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।
5. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का पैनल 25.4 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।

6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टियां तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आड़े कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।
10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 15 से अधिक एवं नोटा सहित 30 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेंगे और द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 30 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 16 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 30 से अधिक एवं नोटा सहित 45 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 45 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 31 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 45 से अधिक एवं नोटा सहित 60 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 46 से 60 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 60 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 30 से 45 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 46 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 15/30/45 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेंगे।
14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टियां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर-1, शीट नम्बर-2 आदि मुद्रित किया जायेगा।
15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टियां और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागरी लिपि में रखे जायेंगे।

16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाँई ओर कम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाई ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बाँई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दाई ओर होगा।
17. सदस्य पद के चुनाव के लिए मतपत्र सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

B. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित मशीनों हेतु

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 461.5 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या-2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर-पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या-3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।
5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टता तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Column) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आड़े कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।
10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक एवं नोटा सहित 32 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेंगे और द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 32 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 17 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 32 से अधिक एवं नोटा सहित 48 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 48 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 33 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक एवं नोटा सहित 64 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी,

तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 49 से 64 नोटा सहित तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 64 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 33 से 48 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 49 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्हीं स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 16/32/48 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेंगे।
14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टता अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर-1, शीट नम्बर-2 आदि मुद्रित किया जायेगा।
15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टता और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे।
16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाँई ओर क्रम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाई ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बाँई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दाँई ओर होगा।
17. सदस्य पद के चुनाव के लिए मतपत्र सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

आज्ञा से,
21.10.2019
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
दिनांक : 21/10/19

क्रमांक: एफ.1(2)(1)/नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/4177-81
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
3. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त ओदश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी उपलब्ध कारावें।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

21.10.2019
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव